राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रुडा उर्फ़ रवि बनाम सूरजमल

103/2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

16/12/2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 31/12/2025 को पेश हो |

31/12/2025

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं इस्तकरार हक़ इस आशय का पेश किया कि वादीगण के पिता रावनिया व वादी संख्या 1 सुरजमल व प्रतिवादीगण का आराजी जैर खसरा नम्बर 422, 423, 424, 425, 426 वाके मौजा केशवाना राजपूत, तहसील कोटपूतली का रकबा अलॉट हुआ था, जो कागजात में अभी तक वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम गैर खातेदारी में दर्ज चले आ रहे है | वादीगण आराजी जैर खसरा नम्बर 426/5.58 वाके मौजा केशवाना राजपूत पर अपनी उक्त अलॉटशुदा भूमि पर काबिज चले आ रहे है और अब मौके पर आराजी जैर खसरा नम्बर 426 पर 1/2 भाग पर सुरजमल वादी संख्या 1 काबिज है और शेष 1/2 भाग पर सुन्दर, प्रभुराम, माडूराम काबिज है और क्योकि अलॉटमेंट के वक्त एवं अर्सादराज से आराजी मुतनाजा पर काबिज चले आ रहे है तथा राज लगान अदा करते है | अत: आराजी मुतनाजा पर उनका कब्जा बतौर खातेदार है | आराजी का खाता शामलाती में होने की वजह से हर फसल पर रकबा, डोल, राज लगान आदि पर तनाजा रहता है | भूमि का समुचित विकास भी शामलाती में रहने से सम्भव नही हो पा रहा है और रोज-रोज झगड़े-झंझट से तंग आकर दावा तकासमा बमय इस्तकरारहक़ पेश करना लाजिम हुआ |

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए निर्णय दिनांक 28/12/1992 पारित कर दिया गया | जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई | जिसमे अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना किये बगैर ही यानि पक्षकारान की समुचित तामिल करवाये बिना वाद के निस्तारण हेतु आवश्यक विधिक प्रकियाओ की अनुपालना में तनकीयात कायम कर साक्ष्य-सबूत का तनकीवार विस्तुत परिक्षण/विवेचन किये बगैर ही सरसरी तौर पर अपीलाधीन

निर्णय व डिक्री पारित किये जाने में गम्भीर क़ानूनी त्रुटी किया जाना स्पष्ट होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28/12/1998 विधिसम्मत प्रतीत नही होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे तनकीयात कायम कर साक्ष्य-सबूत प्राप्त कर बाद सुनवाई उभयपक्षकारान तनकीवार विस्तृत परिक्षण/विवेचन करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 31/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |